



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 348]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

का.आ. 401(अ).—दिल्ली की मुख्य योजना में केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना -2021 / जोन-डी की क्षेत्रीय विकास योजना हेतु अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.10.2017 के का.आ 3250 (अ) तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा-(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आपत्ति/ सुझाव पर विचार कर लिया है; और
3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मुख्य योजना-2021 मुख्य योजना में संशोधित करने का निर्णय लिया है।
4. अतः अब; उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग दि.सु.यो.- 2021 के अनुसार	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
योजना जोन-डी में आने वाले प्लॉट सं. 16-ए, अकबर रोड, नई दिल्ली स्थित वाणिज्य विभाग (डी.जी.एस एंड डी/आपूर्ति) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का प्रस्तावित कार्यालय भवन।	1.775 हेक्टेयर (4.388 एकड़)	'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएँ (पीएस-1)'	'सरकारी (जी2)'	उत्तर : राजपथ की हरित पट्टी दक्षिण: अकबर रोड एवं जामनगर आवास 8/10 पूर्व: सी-हैक्सागन (इंडिया गेट) पश्चिम: मानसिंह रोड एवं उप राष्ट्रपति भवन

[फा. सं. के-13011/8/2009-डीडी-1]

अनिल कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

S.O. 401(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-D regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3250(E) dated 06.10.2017 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/ suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

Location	Area	Land use as per MPD-2021	Land use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Proposed office building of Department of Commerce (DGS &D/Supply), Ministry of Commerce & Industry at plot No. 16-A, Akbar Road, New Delhi, falling in Planning, Zone-D	1.775 ha. (4.388 acres)	'Public & Semi-Public Facilities (PS-1)'	'Government (G2)'	North: Green Area of Rajpath South: Akbar Road & Jamnagar House 8/10 East: C-Hexagon (India Gate) West: Mansingh Road & Vice President House

[F.No. K-13011/8/2009-DD-I]

ANIL KUMAR, Under Secy.